

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
जुगराज पुत्र लक्ष्मणदास जाति महाजन, निवासी झाक समीजी (बाटाडा) तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरा (03)		अंकित कुमार पुत्र केवलचन्द जाति महाजन, निवासी झाक समीजी तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरा (29)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53, 188)

मुकदमा नम्बर 164/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.11.2021		
22.4.22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 22.4.22 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p> <p>पत्रावली पेश हुई वादी आक्षेपज्ञा उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीअप के नोटिसों का इन्तजार होकर आईन्दा दिनांक 04.05.22 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
4.5.22	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्य में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 27.5.22 को पेश हो।</p>	
27.5.22	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्य में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 15.7.22 को पेश हो।</p>	




तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ना.
अंक
हुक्म
में जाय

9.6.25

पत्रावली पेशा वाकुलाप अनुपास्त्रि ।
पत्रावली में प्रभावी पेशी हेतु न्यायालय समय में
पक्षकारान व सचिवमता में रुत - रुतकर
भावजे की जाने के बावजूद कोई उपास्त्रि नहीं
मता पक्षकारान के सम्बन्ध नहीं घेने पर तत्प
अनुपास्त्रि रहने पर उक्त वाद सदन हाजरी व
सदन पेशी में प्वाशज क्रिया जाता है।
पत्रावली नम्बर से रुम लेकर
टापिलर दक्तर है।


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव